

प्राथमिक विद्यालय बीहरा नं.-1 व 2

विकास क्षेत्र : अगौता (बुलन्दशहर)

अपने बच्चों के
स्वर्णिम भविष्य निर्माण हेतु
शीघ्र प्रवेश कराएँ

प्रवेश निःशुल्क



विशेषताएँ

- कक्षा 1 से 5 तक सभी कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश
- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें
- निःशुल्क यूनिफॉर्म (दो जोड़ी), स्वेटर व जूते मौजे
- निःशुल्क परिचय पत्र व दैनन्दिनी
- मेन्यू अनुसार मध्याह्न भोजन (प्रत्येक कार्यदिवस का अलग मेन्यू)
- समय-समय पर सरकारी डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं निःशुल्क दवाईयाँ
- योग्य, अनुभवी एवं प्रशिक्षित अध्यापक
- खेलकूट हेतु विशाल प्रांगण
- विद्याज्ञान, नवोदय, कस्तूरबा गाँधी एवं आश्रम पद्धति जैसी प्रदेश की अग्रणी शिक्षण संस्था में निःशुल्क प्रवेश एवं शिक्षा पाने का अवसर
- शिक्षा का अधिकार कानून अन्तर्गत 06 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को स्कूल भेजना अनिवार्य है।
- सभी सरकारी कार्यों हेतु मान्य वैध स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.)
- नवीन सत्र 1 अप्रैल 2022 से प्रारम्भ
- शिक्षा अधिकार कानून 2009 (21-A & 49) अन्तर्गत गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चलाना व प्रवेश लेना गैर कानूनी है, पाँच वर्ष सश्रम कारावास या 1 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान

प्रोजेक्टर के
माध्यम से संचालित
Smart Classes



श्रीमति राजबाला शर्मा

ग्राम प्रधान, बीहरा

जोगेन्द्र पाल सिंह

प्रधानाध्यापक

श्री ओम नारायण सिंह

खण्ड शिक्षा अधिकारी, अगौता